फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्या: ...२००/२०२४

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]२०२४	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्च अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम वाटिका के खाता संख्या 870 मे किशनाराम उर्फ रामकिशन पुत्र भौरीलाल हिस्सा 1/2 तथा रामप्रसाद पुत्र भौरीलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह के साथ अन्य 6 खातेदारों के नाम सहवन से दर्ज हो गये है जो गलत है। अतः श्रीमानजी गत जमाबंदी संलग्न कर निवेदन है कि खाते में शुद्धि करने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थन में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर में स्थित खाता संख्या 870 में खसरा नम्बर 5363, 5364, 5367/2, 5371/1, 5372, 5373 में खातेदारान् क्रमशः गणेश पुत्र पांच्या हिस्सा 1/6 जाति माली सा0 देह खातेदार, मु0 लाडां पत्नी स्व पांच्या हिस्सा 1/6 जाति माली सा0 देह खातेदार, रामकरण पुत्र पांच्या हिस्सा 1/6 जाति माली सा0 देह खातेदार, रामनारायण पुत्र पांच्या हिस्सा 1/6 जाति माली सा0 देह खातेदार, रामलाल पुत्र पांच्या हिस्सा 1/6 जाति माली सा0 देह खातेदार तथा सुण्डाराम मीना पुत्र जगदीश हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 देह खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित (डिलीट) किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:24:47 IST
Reason: SelfAttested